उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-96/2019/1190/92-2-19-06जांच//2018

लखनऊ:: दिनांक:: 16 अगस्त 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बुलंदशहर में वर्ष 2017-18 में एन0एच0आर0एम0 योजनान्तर्गत भवनो के विदयुतीकरण के कार्यो की अल्पकालीन निविदा के आधार पर समय से अनुबंध गठित न करने एवं ई-टेण्डर के संबंध में निर्गत शासनादेश दि0 05.05.2017 का अनुपालन न किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-बरेली के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-आगरा को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव

संख्या- 96/2019/1190(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र सं0-252/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-क/व्य0प0/पत्रा035/2019-20 दिनांक 31-05-2019 के क्रम में श्री हसनैन अहमद के विरूद्ध आरोपपत्र गठित कर शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, परिमण्डल-आगरा।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर।

4- श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधि0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति अधि0अभि0, प्रखण्ड बरेली द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, उ0प्र0 , लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in